सं. /No 34-07/2022DD-III
भारत सरकार / Government of India
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/ Ministry of Social Justice & Empowerment)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
पाँचवा तल, बी विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी जी ओ कॉंप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

5th Floor, B Wing,
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110003

दिनांक/Date:20.02.2026

To,

1. The Principal Secretary,
Department of Social Justice & Empowerment / Department for Empowerment of Persons with Disabilities , All States/UTs

2. The State Commissioner for Person with Disabilities, All States/UTs

Sub:– Forwarding of Public Grievance regarding alleged discrimination against persons with locomotor disabilities at religious places/temples – requesting for ensuring compliance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) reg.

Sir/Madam,

This is with reference to a public grievance (Registration Nos. PRSEC/E/2026/0004786 and PRSEC/E/2026/0004785) by Shri Santosh Kumar (enclosed) regarding discrimination against persons with **locomotor disabilities** (who use assistive devices such as calipers, orthotic shoes, back braces, or other prescribed medical/therapeutic footwear) at various religious places and temples across India.

2. It is reported in the petition that temple staff treat these medical devices as ordinary "footwear" and insist on their removal to comply with the customary practice of entering sacred spaces barefoot. Removing such devices is often medically inadvisable, impossible, or harmful to health and mobility, leading to denial of entry, restricted participation in worship, mental humiliation, and violation of rights to equality, dignity, and religious freedom.

3. The alleged practice constitutes discrimination on the basis of disability and contravenes key provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act), particularly:

- Section 3 (Equality and non-discrimination; life with dignity and respect for his or her integrity equally with others.);
- Section 6 (Protection from cruelty and inhuman or degrading treatment)
- Section 40 (accessibility standards for public places and services);
- Section 44–46 (mandatory accessibility in built environment, including reasonable accommodation).

4. In view of the above, and in discharge of the responsibilities under the RPwD Act, 2016, you are requested to kindly take the immediate and appropriate actions in respect of temples/religious places located within your State/UT jurisdiction to uphold the rights of persons with disabilities to equal access, dignity and religious participation.

Encl: As above

Yours faithfully,

(Debala Bhattacharjee)
Under Secretary to the Government of India
(email:debala.joarder@gov.in)

Copy to,

Sh. Santosh Kumar
Email: imr053042@gmail.com

सं. /No 34-07/2022DD-III
भारत सरकार / Government of India
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय/ Ministry of Social Justice & Empowerment)
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
पाँचवा तल, बी विंग, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सी जी ओ कॉप्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003

5th Floor, B Wing,
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110003

दिनांक/Date:20.02.2026

प्रति,

1. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
2. राज्य दिव्यांगजन आयुक्त, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

विषयः– धार्मिक स्थलों/मंदिरों में गतिविषयक (लोकोमोटर) दिव्यांग व्यक्तियों के साथ कथित भेदभाव संबंधी लोक शिकायत को अग्रेषित करना – दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के अनुपालन को सुनिश्चित करने का अनुरोध।

महोदय/महोदया,

यह श्री संतोष कुमार द्वारा दर्ज लोक शिकायत (पंजीकरण संख्या PRSEC/E/2026/0004786 तथा PRSEC/E/2026/0004785) के संदर्भ में है (संलग्न), जिसमें भारत भर के विभिन्न धार्मिक स्थलों तथा मंदिरों में गतिविषयक दिव्यांग व्यक्तियों (जो कैलिपर्स, ऑर्थोटिक जूते, बैक ब्रेस या अन्य निर्धारित चिकित्सकीय/चिकित्सकीय जूते जैसे सहायक उपकरणों का उपयोग करते हैं) के साथ भेदभाव की शिकायत की गई है।

2. याचिका में बताया गया है कि मंदिर के कर्मचारी इन चिकित्सकीय उपकरणों को सामान्य "जूते" मानते हैं तथा पवित्र स्थलों में प्रवेश के लिए नंगे पैर रहने की प्रथा के अनुपालन हेतु इन्हें उतारने पर जोर देते हैं। ऐसे उपकरणों को हटाना अक्सर चिकित्सकीय दृष्टि से अनुचित, असंभव या स्वास्थ्य एवं गतिशीलता के लिए हानिकारक होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रवेश से इनकार, पूजा में सीमित भागीदारी, मानसिक अपमान तथा समानता, गरिमा एवं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन होता है।

3. उक्त कथित प्रथा दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव का गठन करती है तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (RPwD Act) के प्रमुख प्रावधानों का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से:

धारा 3 (समानता एवं गैर-भेदभाव; गरिमा के साथ जीवन तथा दूसरों के समान अखंडता का सम्मान।);
धारा 6 (क्रूरता एवं अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण);
धारा 40 (सार्वजनिक स्थलों एवं सेवाओं हेतु पहुंच मानक);
धारा 44–46 (निर्मित वातावरण में अनिवार्य पहुंच, जिसमें उचित आवास शामिल है)।

4. उपरोक्त के दृष्टिगत, तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन में, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्राधिकार में स्थित मंदिरों/धार्मिक स्थलों के संबंध में तत्काल एवं उचित कार्यवाही करें ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को समान पहुंच, गरिमा एवं धार्मिक भागीदारी के अधिकारों की रक्षा हो सके।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय,

देबाला

(देबाला भट्टाचार्य)
भारत सरकार के अवर सचिव
(ईमेल: debala.joarder@gov.in)

Copy to,

Sh. Santosh Kumar
Email: imr053042@gmail.com

Details for registration number : PRSEC/E/2026/0004786

Name	Santosh Kumar
Date of receipt	21/01/2026
Address	Post Office Phusro bokAro Jharkhand
District name	Not Provided
State name	Jharkhand
Mobile no	Not Provided
Email Id	imr053042@gmail.com
Grievance description	

☑ गुप्त जनहित शिकायत (मंदिरों में विकलांग प्रवेश भेदभाव के संबंध में)

विषय: ISKCON पुरी, ISKCON बैंगलोर, कोनार्क पुरी, लक्ष्मी मंदिर दिल्ली, गणेश मंदिर दुर्गामा, काली मंदिर दिल्ली एवं उज्जैन महाकाल मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में locomotor विकलांग व्यक्तियों के प्रवेश पर बाधा की शिकायत

माननीय महोदय/महोदया,

यह शिकायत जनहित में गुप्त रूप से (Anonymous) दर्ज की जा रही है।

विभिन्न धार्मिक स्थलों पर यह देखने में आया है कि locomotor विकलांग व्यक्तियों को, जो कैलिपर, ऑर्थोटिक शूज़, बैक-ब्रेस, या विशेष जूते की सहायता से चलते हैं, मंदिरों में प्रवेश से रोका जाता है, क्योंकि उनके उपकरणों में जूता लगा हुआ होता है।

यह व्यवहार विशेष रूप से निम्न मंदिरों में देखा गया है:

1. ISKCON मंदिर, पुरी (Odisha)

2. ISKCON मंदिर, बैंगलोर (Karnataka)

3. कोनार्क सूर्य मंदिर, पुरी (Odisha)

4. लक्ष्मी नारायण मंदिर, दिल्ली

5. गणेश मंदिर, दुर्गामा

Dy. No. 418(USCDB) 02/02/26

Dy No. – 45/56(Pol.) 05-02-26

Please process the two PGs simultaneously.
DB 1/2.

SO-Pol/ Anamika, ASO
Anamika 05/02

6. काली मंदिर, दिल्ली

7. महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन (MP)

इन स्थानों पर कर्मचारियों द्वारा विकलांग व्यक्तियों से कहा जाता है कि वे स्पेशल शूज़/कैलिपर हटाएँ, जबकि इन्हें हटाना असंभव और चिकित्सकीय रूप से हानिकारक हो सकता है। कई बार प्रवेश पूर्णतः रोक दिया जाता है, जिससे विकलांग श्रद्धालुओं को धार्मिक अधिकारों, गरिमा और समानता से वंचित होना पड़ता है।

यह व्यवहार विकलांगता के आधार पर भेदभाव है और Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर पहुँच (Accessibility) व समान अधिकार प्राप्त हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य:
✓ कैलिपर व ऑर्थोटिक शूज़ डॉक्टरी उपकरण हैं, जूते नहीं।
✓ इन्हें हटाना कई बार स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण होता है।
✓ धार्मिक स्थल भी सार्वजनिक स्थल की श्रेणी में आते हैं।
✓ धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है।

जनहित में मांगे:

1. उपरोक्त मंदिरों सहित सभी धार्मिक स्थलों को निर्देशित किया जाए कि
कैलिपर/ऑर्थोटिक शूज़ को जूता न माना जाए।

2. विकलांग व्यक्तियों पर प्रवेश से जुड़े अनौपचारिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएँ।

3. मंदिर स्टाफ को RPwD Act 2016, संवैधानिक अधिकार व चिकित्सा उपकरणों की जानकारी दी जाए।

4. मंदिरों में व्हीलचेयर/रैम्प/सुलभ मार्ग की व्यवस्था की जाए।

यह शिकायत जनहित में बिना नाम/पहचान बताए की जा रही है ताकि मुद्दा निष्पक्ष रूप से सामने आ सके।

कृपया इस विषय पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा करें।

धन्यवाद।
एक चिंतित नागरिक (जनहित में)

Name of organisation(s) where grievance is pending 2 1. Policy Section

Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO-(Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 19/02/2026 06:02 pm

Type of receipt	Transferred

Details for registration number : PRSEC/E/2026/0004785

Name	Santosh Kumar
Date of receipt	21/01/2026
Address	Post Office Phusro bokAro Jharkhand
District name	Not Provided
State name	Jharkhand
Mobile no	Not Provided
Email Id	imr053042@gmail.com

Grievance description

■ गुप्त जनहित शिकायत (विकलांग अधिकार उल्लंघन के संबंध में)

विषय: देशभर के कई मंदिरों में locomotor विकलांग व्यक्तियों को कैलिपर/शू-ब्रेस के कारण प्रवेश से रोके जाने की शिकायत

माननीय महोदय/महोदया,
यह शिकायत जनहित में गुप्त रूप से दर्ज की जा रही है।

देशभर में अनेक धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में ऐसे विकलांग व्यक्तियों को, जो कैलिपर, ऑर्थोटिक शूज़, बैक-ब्रेस, या अन्य चिकित्सा उपकरण की सहायता से चलते हैं, प्रवेश से रोका जा रहा है। इसके कारण विकलांग श्रद्धालुओं को मानसिक अपमान, धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन, एवं समानता के संवैधानिक अधिकार से वंचित होना पड़ता है।

ध्यान देने योग्य तथ्य:

1. कैलिपर व विशेष जूते चिकित्सा उपकरण हैं, जिन्हें हटाना कई बार संभव या सुरक्षित नहीं होता।

2. कई मंदिर स्टाफ इन्हें 'जूते' मानकर प्रवेश रोकते हैं, जिससे भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है।

3. यह व्यवहार Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) का स्पष्ट उल्लंघन है।

4. धार्मिक स्थलों पर प्रवेश Article 21 (जीवन एवं गरिमा का अधिकार) तथा Article 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के अंतर्गत भी संरक्षित है।

विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी मुख्य समस्याएँ: ✓ कैलिपर/ब्रेस केकारण "जूते पहने" मानकर रोकना

✓ व्हीलचेयर/ऑर्थोटिक उपकरण के लिए उचित मार्ग का अभाव
✓ स्टाफ द्वारा असम्मानजनक व्यवहार
✓ धार्मिक कर्तव्यों से वंचित करना

हमारी मांगें (जनहित में):

1. धार्मिक स्थलों को निर्देशित किया जाए कि चिकित्सा उपकरणों को जूते नहीं माना जाए।

2. प्रवेश पर असंवैधानिक रोक को तुरंत हटाया जाए।

3. मंदिर प्रशासन को उचित संवेदनशीलता एवं कानून की जानकारी दी जाए।

4. विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हीलचेयर/कैबिन एक्सेस की व्यवस्था की जाए।

5. RPwD Act, 2016 के अनुपालन की निगरानी एवं रिपोर्ट सुनिश्चित की जाए।

यह शिकायत जanhit में बिना नाम/पहचान के की जा रही है क्योंकि कई स्थानों पर शिकायतकर्ताओं को प्रताड़ित करने या अनसुना करने की प्रवृत्ति देखी गई है।

कृपया इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे भारतीय विकलांग नागरिकों को सम्मान, धार्मिक स्वतंत्रता, एवं समान न्याय मिल सके।

धन्यवाद।
एक चिंतित नागरिक (जनहित में)

Name of organisation(s) where grievance is pending	1. Policy Section
Type of receipt	Transferred

Generated from eOffice by ANAMIKA PAL, ASO-(Policy)-AP, ASSISTANT SECTION OFFICER, Department of Empowerment of Persons with Disabilities (DEPwD) on 19/02/2026 06:02 pm